

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक

वादी

बनाम


प्रतिवादी

रामनारामयण

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-129/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.11.2021	<p>प्रार्थी रामनारायण पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी झाक तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प झाक में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 194 रकबा 0.8582 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता गोपाराम पुत्र नेनाराम की थी। गोपाराम का देहान्त करीब 35 वर्ष पूर्व को हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम रामनारायण के बजाय नारायणराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनारायण है। एवं सरकारी दस्तावेज भी रामनारायण के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में नारायण पुत्र गोपाराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र गोपाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रामनारायण ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी रामनारायण के आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। वादी ने अपने गवाह के तौर पर भवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत (वर्तमान वार्डपंच) के बयान कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में नारायणराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।</p>	

	<p>पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम रामनारायण के बजाय नारायणराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.8582 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में नारायणराम पुत्र गोपाराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी झाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम झाक में खुले में सुनाया गया।</p>	
<p>उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा</p>		

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादी

रामनारायण पुत्र गोपाराम
जाति मेघवाल निवासी झाक
तहसील बिलाड़ा

राजस्थान सरकार
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 129/2021

निर्णय

दिनांक :- 01.11..

2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या-1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"1 होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.8582 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में नारायणराम पुत्र गोपाराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी झाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिंग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा